

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.स्था.3 / भाग-2 / 537 / 2019 / 16447

भोपाल, दिनांक 22/6/19

प्रति,

1. संभागीय उपायुक्त (समस्त)  
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण  
मध्यप्रदेश
2. सहायक आयुक्त (समस्त)  
जनजातीय कार्य,  
मध्यप्रदेश
3. जिला संयोजक (समस्त)  
आदिम जाति कल्याण विभाग,  
मध्यप्रदेश

विषय :- अध्यापक संवर्ग के वेतन भुगतान हेतु बजट शीर्ष 42009 में आवंटन उपलब्ध कराने  
बाबत।

—000—

आपके जिले में कार्यरत अध्यापक संवर्ग में ऐसे शिक्षक जिन्होंने मान. न्यायालय में याचिका दायर की है, विभागीय कार्यवाही में अपात्र <sup>अयोग्य</sup> राज्य शिक्षा सेवा की नियुक्ति में विकल्प न भरने के कारण तथा अन्य किसी भी कारणों से अभी भी अध्यापक संवर्ग में कार्यरत हैं। ऐसे सभी अध्यापक जिनका किसी कारण से नवीन संवर्ग में सविलियन नहीं हुआ है, उनके वेतन भुगतान हेतु बजट शीर्ष 42009 में पृथक से व्यवस्था की जानी है।

इन अध्यापकों की सूची तत्काल 3 दिवस में कार्यालय में अनिवार्यतः ई-मेल shikshasthapna.ctd@mp.gov.in पर उपलब्ध करावें।

22.06.19  
अपर संचालक

जनजातीय कार्य विभाग  
मध्यप्रदेश